web : www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN16931 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, शुक्रवार 30 नवम्बर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए | वर्ष-01, अंक-63

किसानों की पदयात्रा से वीवीआईपी एरिया प्रभावित

संसद भवन के आसपास और लुटियन क्षेत्र में यातायात बाधित

नयी दिल्ली (आरएनएस)। शुक्रवार को संसद भवन की ओर हजारों किसानों की पदयात्रा से मध्य और लुटियन दिल्ली में यातायात व्यवस्था प्रभावित है। हजारों किसान गुरुवार से ही रामलीला मैदान में रूके हुए थे और शुक्रवार की सुबह उन्होंने संसद भवन की ओर मार्च शुरू किया। किसान कर्ज माफी और फसलों की अधिक कीमतों की मांग सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू मार्ग, गुरू नानक आई हॉस्पिटल, महाराजा रंजीत सिंह फ्लाइओवर, बाराखम्बा चौक और जनपथ पर आज सुबह से प्रभावित है। राहगीरों को इन मार्गो से नहीं जाने की सलाह दी गई है। राहगीरों को परेशानियों का सामना न करना पड़े इसे सुनिश्चित करने के लिए करीब 1,000 यातायात पुलिस कर्मी रामलीला मैदान से संसद भवन के बीच तैनात किए गए हैं।

यातायात पुलिस के अनुसार इस मार्च की वजह से कस्तूरबा गांधी मार्ग, फिरोजशाह रोड, जनपथ, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड, अशोक रोड, जय सिंह मार्ग और कनॉट प्लेस का इनर और आउटर सर्किल प्रभावित रहेगा। हमारे वरिष्ठ यातायात अधिकारी अन्य यातायात अधिकारियों के साथ इसका प्रबंधन कर रहे हैं। नागरिकों को यातायात से संबंधित अपडेट जानकारी के लिए दिल्ली यातायात पुलिस फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप और ट्रैफिक हेल्पलाइन की मदद लेने की सलाह दी गई है। मध्य और नयी दिल्ली पुलिस जिलों में 3,500 से ज्यादा कर्मी मार्च के मार्ग में तैनात हैं और विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं उप-निरीक्षक रैंक तक के 850 पुलिसकर्मी मध्य जिले में तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों से गुरुवार को ही किसान रामलीला मैदान पहुंचे।

महत्वपूर्ण एवं खास

एमेज़ॉन में 8000 बैरल तेल फैलने से पेरू में आपदा की आशंका

लीमा (आरएनएस)। पेरू के एक तेल प्रबंधक ने एमेज़ॉन के एक इलाके में एक प्रमुख पाइपलाइन वहां के लोगों द्वारा काटे जाने के बाद बुधवार को इसके कारण उत्पन्न होने वाली आपदा को लेकर आगाह किया है। पाइपलाइन कटने से उस इलाके में 8,000 बैरल तेल फैल गया है।

आत्मघाती बम हमले में 15 की मौत, 29 घायल

काबुल (आरएनएस)। अफगानिस्तान स्थित ब्रिटेन की एक सुरक्षा कंपनी के परिसर में हुए धमाके में तालिबान के पांच हमलावरों सहित 15 लोग मारे गये और 29 अन्य घायल हो गये। आतंकवादी संगठन तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

पीएसएलवी के जरिए 31 सैटलाइट लॉन्च

श्रीहरिकोटा (आरएनएस)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पोलर सैटलाइट लॉन्च वीइकल (पीएसएलवी) सी-43 द्वारा 31 सैटलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे आन्ध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 9 बजकर 58 मिनट में छोड़ा गया। इसमें भारत का हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटलाइट (एचवाईएसआईएस) और 8 देशों के 30 दूसरे सैटलाइट शामिल हैं।

अब नहीं होगा सर्कस में जानवरों के इस्तेमाल!

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने किसी भी सर्कस या मनोरंजन केंद्रों में जानवरों के करतब दिखाने या उनका इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे प्रगतिशील तथा प्रशंसनीय कदम करार दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 28 नवंबर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत विभिन्न पक्षकारों से इस मुद्दे पर 30 दिनों के अंदर विचार मांगें हैं।

पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच दोषी करार

कोयला आवंटन घोटाला

नयी दिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली की एक न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को कोयला घोटाला के एक मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया। यह मामला पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित है।

नाबालिग बच्चो की स्कूटी के टक्कर से हुई एक मौत

नईदिल्ली (आरएनएस)। खजूरी खास पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग ने डेढ़ साल के बच्चे को स्कूटी से टक्कर मार दी. गंभीर हालत में श्री राम कॉलोनी निवासी इस बच्चे को अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

विश्व एड्स दिवस पर विविध आयोजन होंगे 1 दिसंबर को

रायपुर (आरएनएस)। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व एड्स दिवस के अवसर पर शहर में विविध आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। जिला एड्स नियंत्रण समिति के कर्मी केशव पाण्डेय ने बताया कि जनजागरूकता अभियान के तहत पोस्टर प्रदर्शनी के जरिए एचआईवी एड्स के फैलाव को रोकने के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जाएगी। साथ ही एड्स से संबंधित सावधानियां बरतने के लिए रैली के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी समितियों के सदस्यों द्वारा हैण्ड बिल वितरित किए जाएंगे। पाण्डेय ने बताया कि एड्स के संबंध में चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रक्त जांच के जरिए लोगों की जांच की जाती है।

25 करोड़ मोबाइल यूजर्स के सिम नहीं होंगे बंद

ट्राई ने कंपनियों को जारी किए निर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की दिग्गज कंपनियों द्वारा नंबर को चालू रखने के लिए 35 रुपये का रिचार्ज करवाना अनिवार्य करने पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नाराजगी जताई है। ट्राई ने कंपनियों को ऐसे ग्राहक, जिनके खाते में 'पर्याप्त' बैलेंस उपलब्ध है मासिक अवधि बीतने के बावजूद भी उनके कनेक्शन को तुरंत न बंद करने के लिए कहा है। बता दें कि एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया ने ग्राहकों को हर महीने 35 रुपये का रिचार्ज करवाना अनिवार्य कर दिया है। कंपनियों का कहना है कि अगर वे रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो उनके नंबर बंद कर दिए जाएंगे। इसको लेकर इन टेलिकॉम कंपनियों ने ग्राहकों को मैसेज भी भेजना शुरू कर दिया है।

ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा, टैरिफ और प्लान को लेकर हम आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन खाते में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद अगर लोगों से कहा जा रहा है कि उनकी सेवाएं काट दी जाएंगी तो ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सर्विस प्रोवाइडर्स को मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गए। ट्राई वर्तमान में वह इस पूरे मुद्दे को देख रहा है। इसी बीच उसने सेवा प्रदाताओं को स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं को यह बताने का निर्देश दिया है कि उनका मौजूदा प्लान कब खत्म हो रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं को न्यूनतम रिचार्ज सहित अन्य विकल्पों के बारे में भी साफ तौर पर जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। उसने सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को उपभोक्ताओं को तत्काल मोबाइल संदेश के जरिए जानकारी देने को कहा है। ट्राई ने कहा है कि इसमें 72 घंटे से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ ट्राई ने यह भी कहा है कि इस अवधि तक ऐसे उपभोक्ता जिनके प्रीपेड अकाउंट में न्यूनतम रिचार्ज के बराबर राशि है।

शाहरुख से नाराज है सिख समुदाय?

हाईकोर्ट में आज जीरो पर होगी सुनवाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो ट्रेलर लॉन्च के बाद विवादों में फंसी हुई है. सिख समुदाय ने इस फिल्म के एक दृश्य को लेकर नाराजगी जाहिर की जिसके बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी.

ज्ञात हो कि यह पूरा मामला सिख समुदाय के एक धार्मिक प्रतीक से जुड़ा हुआ है. फिल्म के पोस्टर एवं ट्रेलर के एक सीन में शाहरुख खान को कृपाण लिए हुए दिखाया गया है. इस दृश्य में निकर और बनियान पहने शाहरुख नोटो के हार के साथ गले में कृपाण पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. सिख समुदाय की नाराजगी इस दृश्य को लेकर है. सिख समुदाय इसे अपने धार्मिक प्रतीक का अपमान बता रहा है.

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (डीएसजीपीसी) के धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमेन परमजीत सिंह राणा के अनुसार कृपाण सिखों का धार्मिक चिन्ह है, जो केवल दिखाने के लिए नहीं है बल्कि इसके साथ मानवीय भावनाएं और संकल्प भी जुड़े हुए है. उन्होंने कहा कि फिल्मों में धार्मिक चिन्हों का मजाक उड़ाना ट्रेंड सा बन गया है.

ज्ञात हो कि अधिवक्ता अमृत सिंह खालसा ने इस महीने की शुरूआत में जीरो के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में फिल्म के कृपाण वाले सभी सीन्स को हटाने की मांग की गई है. याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि फिल्म के निर्माताओं को कृपाण वाले सीन फिल्म से हटाने की के आदेश दिए जाएं.

न्यायालय ने आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू की

नयी दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई शुरू कर दी। इस याचिका में वर्मा ने जांच एजेन्सी के निदेशक के रूप में उनके अधिकार छीनने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन वर्मा की ओर से दलीलें पेश कर रहे हैं। पीठ ने सीबीआई निदेशक के खिलाफ सीवीसी के निष्कर्षों पर वर्मा का जवाब कथित तौर पर मीडिया में लीक होने पर 20 नवंबर को गहरी नाराजगी जताई थी। जांच एजेंसी के डीआईजी मनोज कुमार सिन्हा के अलग आवेदन में लगाए आरोपों के प्रकाशन पर भी पीठ ने नाराजगी जाहिर की थी। बहस शुरू करते हुये नरीमन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 सर्वोपरि है, ऐसी स्थिति में अदालत याचिका की सामग्री के प्रकाशन पर रोक नहीं लगा सकती है।

महिला पार्टनर को लड़की के परिजनों ने किया कैद!

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक महिला ने अपनी लवर की रिहाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला ने हाई कोर्ट में अर्जी दी, जिसके अनुसार उसकी महिला पार्टनर को परिजनों ने ही कथित तौर पर घर में कैद कर लिया है। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

यह मामला 14 नवंबर का है, जब एक लड़की को उसके परिजनों ने उसकी महिला लवर के घर से बचाकर निकाला। परिजनों के अनुसार लड़की का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसे संतोषपुर के एक रीहबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन, लड़की की लवर हाई कोर्ट पहुंच गई और दावा किया कि उसकी पार्टनर को घरवालों ने जबर्दस्ती कैद कर लिया है।

हाई कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य के हेल्थ एजुकेशन निदेशक को तीन मनोवैज्ञानिकों की टीम बनाकर जांच करने और एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि अब देश में दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं हैं।

योग से जुड़ रहा भारत और अर्जेंटीना : मोदी

ब्यूनस आयस (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि योग अर्जेंटीना और भारत के बीच विशाल दूरी को पाट रहा है और दोनों देशों के लोगों को जोड़ रहा है। एक योग कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि योग स्वास्थ्य और शांति के लिये भारत की ओर से दुनिया को तोहफा है। प्रधानमंत्री ने हिंदी में कहा, ''मैं 24 घंटे से ज्यादा समय में 15000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके महज कुछ घंटे पहले यहां पहुंचा हूं। आपके प्रेम और उत्साह की वजह से मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं भारत के बाहर नहीं हूं।'' 'योग फॉर पीस' कार्यक्रम के आयोजकों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बेहतर नाम के बारे में सोचना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ''योग आपके शरीर और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखता है। यह आपके शरीर को मजबूत बनाता है और आपके मस्तिष्क को शांत रखता है।'' उन्होंने कहा कि अगर दिमाग शांत होगा तो परिवार, समाज, देश और दुनिया में भी शांति रहेगी। उन्होंने कहा, ''योग स्वास्थ्य, तंदरुस्ती और शांति के लिये भारत की ओर से दुनिया को तोहफा है। यह तंदरुस्ती और खुशी से हमें जोड़ता है।'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''योग भारत और अर्जेंटीना के बीच विशाल दूरी को पाट रहा है। यह दोनों देशों और उनके लोगों को जोड़ रहा है।'' उन्होंने कहा कि जहां अर्जेंटीना की भारत की कला, संगीत और नृत्य में गहरी दिलचस्पी है।

निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च की राशि बढ़ाने की बजाय घटाएं

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग की कुशल संचालन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि चुनाव खर्च की राशि की सीमा? 2800000 निर्धारित है इसे बढ़ाने की मंशा कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी की है। निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि आने वाले चुनाव में उक्त राशि खर्च करने की सीमा और घटाई जाए ताकि ईमानदार राष्ट्रभक्त और राज्य और राष्ट्र की सेवा को इक्छुक सेवाभावी लोग विधायक, सांसद बनकर ईमानदारी से राष्ट्र की राज्य की सेवा कर सके। क्योंकि जितनी ज्यादा चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई जाएगी उतना ही बाहुबल और धनबल वाले लोग ही उक्त चुनाव लड़ सकेंगे ,जबकि देश में बड़ी संख्या में गरीब किसान मजदूर ईमानदार राष्ट्रवादी सोच वाले लोग हैं जिनका चुनाव लड़ना हमेशा असंभव ही रहेगा जो लोग चुनाव में लाखों-करोड़ों पर खर्च करके जीतेंगे वे लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे कर सकेंगे।

सर्वप्रथम तो चाहेंगे की चुनाव जीतने के लिए जितना उन्होंने पैसा लगाया है उनका मूलधन पहले वापस आए। अतः निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख से घटाकर और भी कम किया जाए।

किशोर की हत्या के लिए 3 पुलिस कर्मियों को 40 साल की कैद

मनीला (आरएनएस)। फिलीपींस में एक किशोर की हत्या के चर्चित मामले में गुरुवार को तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते द्वारा मादक पदार्थ के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद सुरक्षाकर्मियों को अपराधी ठहराने का यह पहला मामला है।

समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के मुताबिक, कैलुकेन क्षेत्रीय ट्रायल कोर्ट ने अधिकारियों आर्नेल ओआरेस, जेरेमियास पेरेडा और जेरविन क्रूज को अगस्त 2017 में मनीला के बाहर 17 वर्षीय किशोर कियान डेलोस सैंटोस की एक मादक पदार्थ रोधी अभियान में हत्या करने के मामले में बिना पैरोल के 40 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई और उन्हें 345,000 पेसो (6,580 डॉलर) क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का भी आदेश दिया। अधिकारियों को हालांकि, सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी नहीं पाया गया। सैंटोस के शव के बगल में शाबू (एक सस्ता और बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाला मादक पदार्थ) के दो सैशे और एक बंदूक पाई गई थी। फिलीपींस के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चिटो गैसकोन ने एक बयान में कहा, हम कियान के हत्यारों को ट्रायल कोर्ट द्वारा अपराधी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं और इस मामले में न्याय दिलाने में मदद करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर साहसी प्रत्यक्षदर्शियों, चर्च के कर्मचारियों, मानव अधिकार रक्षकों, जांचकर्ताओं और अभियोजकों का.. जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया।

चिदंबरम को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक 15 जनवरी तक बढ़ाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 15 जनवरी तक बढ़ा दी। अदालत चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चिदंबरम ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी से राहत का आग्रह किया था।

अदालत ने 25 जुलाई को उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 29 नवंबर कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया था।

कार्ति को कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया को 2007 (उस समय पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे) में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कार्ति को बाद में जमानत दे दी गई थी। इस मामले में ईडी ने कार्ति के चार्टर अकाउंटेंट एस. भास्करारमन को भी गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।